

25⁰¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। पाटीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने के बावजूद पाटीगण एवं पाटीगण के अधिकृत अनुपस्थित रहे। पाटीगण एवं अधिकृत अपने द्वारा प्रस्तुत पाद को आगे चलाने के प्रति गम्भीर नहीं होने के कारण पाटीगण का पाद अक्षय घजरी एवं अक्षय फेंकी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 25/01/2023 को सर्वे न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फंशल सुभाट होमट वाड बेख गठणर है।

उप जिला कलक्टर
लवाण

